उपाबंध –1

राहत राशि के लिए मापदंड

क0सं0	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनम पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए: (i) क्रम संख्याकं (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्याकं (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पर 25 प्रतिशत:, (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तब 50 प्रतिशत (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व कर दिया जाता हैं, तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्याकं (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत
2.	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकटठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूडा, पशु शव इकटठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	
4.	जूतों की माला महनाना या नग्न या अर्थ नग्र घुमाना (अधिनियम की धारा 3(1)(घ)	
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे, कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुड़न करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड़)	
6.	भूमि को सदोप अधिभोग में लेना उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहॉ आवश्यक हो वहॉ सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकार खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिचाई सुविधा वापस लौटायी जायेगगी। पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार संनदाय किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
7.	भूमि या परिसरों से सदोप बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अन्तर्गत बन अधिकार भी है, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(छ)	
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा (3), (1) (ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
9.	मानव या पशुओं की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्ररो को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (झ)]	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (ञ)]	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को	

	देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करना या समपर्ण या संवर्धन करने [अधिनियम की धारा (3), (1) (ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा (3),(1)(ड)]	
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा (3),(1)(ढ़)]	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नही करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियों संस्थित करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
17.	किसी लोक सेवक को को मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा (3), (1) (थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित किये जाने के लिए अभित्रास [अधिनियम की धारा (3), (1) (द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (ध)]	

20.	धार्मिक माने जाने वाली या अतीत श्रद्वा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (न)]	(iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
21.	शत्रुता, घृणा स वैमन्स की भावनाओं में अभिवृद्वि करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (प)]	
22.	अति श्रद्वा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंग विक्षेपों का उपयोग करके जो लैगिंक प्रकृति के कार्य के रूप में हो, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा (3), (1) (ब)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैकना या फैकने का प्रयत्न करना [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(फक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या ऑख, कान, नाक ओर मुहॅ के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपएः (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बीच जला हुआ हैं, चार लाख पंद्राह हजार रूपएः (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबन्धानुसार संदाय निम्नानुसार किया जायेगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25

		प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैगिंक उत्पीड़न और लैगिंग उत्पीड़ के लिए दण्ड [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख (1860 का 45) निरवस्त करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 40 प्रतिशत
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 40 प्रतिशत
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25

		प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी भी व्यक्ति द्वारा मैथुन[अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचाराण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा (3)(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दौ लाख रूपए। संदाय निन्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
33.	जल को दूषित या गन्दा करना [अधिनियम की धारा (3)(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अन्तर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता हैं, कि सफाई भी हैं, को वापस लौटाने का पूरा खर्च सम्बद्व राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पचीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के लिए रूढ़िजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागन के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा (3)(1)(म)]	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चासी हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा (3)(1)(य)]	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति

		को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्व किये जाने पर 25 प्रतिशत
36.	निम्नलिखित के सम्बन्ध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना– (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के अधिकार पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग[अधिनियम की धारा (3)(1)(यक)(अ)]	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनरों कब्रिस्तान या शमशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा (3)(1)(यक)(आ)]	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए, खुले हुए है, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा हैं, निकालना	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए, खुले हुए है, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या

	या उनमें भाग लेना [अधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(इ)]	सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना : या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग [अधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना : या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्ति, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। [अधिनियम की धारा (3)(1) (यक)(उ)]	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्ति, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादार, बेइज्जती, क्षत्रिय और उसकी अवमानना के अनुसार

	[अधिनियम की धारा (3)(1) (यख)]	संदाय (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा (3)(1) (यग)]	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जायेगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। [अधिनियम की धारा (3)(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहित (1860 का 45) के अधीन अपरोध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा (3)(2)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपए इस रकम में फेरफार हो सकता हैं यदि अनुसूची में विनिदृष्यटत अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहित (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची मे बिनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्टत किया गया है। [अधिनियम के साथ पठित धारा (3)(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए इस रकम में फेरफार हो सकता हैं यदि अनुसूची में विनिदृष्यटत अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।

42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना [अधिनियम की धारा (3)(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किये जाने पर।
43.	निःशुक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं0–16–18/97–एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिट विभिन्न निःशक्ताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्ननानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा जॉच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहॉ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम हैं किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्ननानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा जॉच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहॉ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्ननानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा जॉच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375	पीड़ित को पाच लाख रूपए संदाय निम्ननानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा जॉच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 घ	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जायेगाः (i) चिकित्सा जॉच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि

		के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशतः (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितो को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्ता मदो के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबन्ध किया जाएगाः– (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पाच हजार रूपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगायी भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवको को लागू है और मृत्क के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध। (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषड़। बालको को सरकार द्वारा पूर्णतयाः वित्त पोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगाः (iii) बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधी के लिए उपबन्ध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहॉ उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।''